न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 196 / 2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2023 / 540

वादी बनाम प्रतिवादी

शंकर पुत्र लादाजी उर्फ लादाराम
जाति राजपुरोहित
निवासी कनाना तहसील पचपदरा जिला
बालोतरा जरिए अधिकार पत्र धारक
श्रीमति सकूदेवी पत्नी शंकर
जाति राजपुरोहित निवासी कनाना
तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

1.पुरूषोतमदास पुत्र मंशाराम
2.बालूदास पुत्र मंशाराम
3.मनोहरदास पुत्र मंशाराम
4.मुरलीधरदास पुत्र मंशाराम
5.श्यामदास पुत्र मंशाराम
जाति साद (रामावत)
निवासी कनाना तहसील पचपदरा व
जिला बालोतरा
6.सूरजकंवर पत्नी नरपतसिंह
जाति राजपूत निवासी कुम्पावास
तहसील सिवाना
7.जेनाराम पुत्र लाधाराम
जाति राजपुरोहित निवासी कनाना
तहसील पचपदरा
8.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
पचपदरा

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति

1.श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता वादी
2.श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 02 व 07
3.श्री नरपतसिंह भाटी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 06 अनु.।
4.प्रतिवादी संख्या 01 व 3 से 5 एकतरफा।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

निर्णय

दिनांक- 24.12.2024

संक्षिप्त में वाद-पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि सरहद मौजा कनाना तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 883/412 भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद दिनांक 20.6.2024 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को मौके पर जाकर वादग्रस्त भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार पचपदरा द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। विभाजन प्रस्ताव वादी द्वारा स्वीकार किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 02 व 07 द्वारा जरिए अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव पर आपति पेश की गई,जो बाद सुनवाई आपति निरस्त की गई तथा वादी का वाद विभाजन प्रस्ताव मुताबिक वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा कनाना तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 883/412 भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हैक्ट)	किस्म	लगान	बचिन्ह
1	शंकर पुत्र लादुजी जाति पुरोहित सा. देह खातेदार	कनाना	883/412	0.0566	बा.दो.	0.10	नक्शे मे दर्शिता नुसार
2	बालूदास पुत्र मंशाराम जाति साद सा. देह खातेदार	कनाना	883/412	0.7527	बा.दो.	1.89	नक्शे मे दर्शितानुसार
3	सूरजकंवर पत्नी नरपतसिंह पुत्रवधु मंगलसिंह जाति राजपूत सा. देह खोतदार	कनाना	883/412	0.1619	बा.दो.	0.30	नक्शे मे दर्शितानुसार
4	गीता पत्नी मंशाराम, पुरुषोतम पुत्र मंशाराम, मनोहरदास पुत्र मंशाराम, मुरलीधरदास पुत्र मंशाराम, श्यामदास पुत्र मंशाराम, जाति साद सा. देह खातेदार	कनाना	883/412	3.8849	बा.दो.	7.19	नक्शे मे दर्शितानुसार

न्यायालय सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

तहसीलदार,पचपदरा को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामान्तकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें,संलग्न नामान्तकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित करे,राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना –अपना वहन करें ।

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 24.12.24 को लिखा जाकर सरें इजलास सुनाया गया।

कार्यालय सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर 24/12/24
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

मूलवाद में अंतिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 196/2023

सी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023/640

वादी	बनाम	प्रतिवादी
शंकर पुत्र लादाजी उर्फ लादाराम जाति राजपुरोहित निवासी कनाना तहसील पचपदरा जिला बालोतरा जरिए अधिकार पत्र धारक श्रीमति सकूदेवी पत्नी शंकर जाति राजपुरोहित निवासी कनाना तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.पुरुषोतमदास पुत्र मंशाराम 2.बालूदास पुत्र मंशाराम 3.मनोहरदास पुत्र मंशाराम 4.मुरलीधरदास पुत्र मंशाराम 5.श्यामदास पुत्र मंशाराम जाति साद (रामावत) निवासी कनाना तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 6.सूरजकंवर पत्नी नरपतसिंह जाति राजपूत निवासी कुम्पावास तहसील सिवाना 7.जेनाराम पुत्र लाधाराम जाति राजपुरोहित निवासी कनाना तहसील पचपदरा 8.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धाराः–53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर : 196/2023

निर्णय दिनांक :– 24.12.2024

वादी की ओर से श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 02 व 07 की ओर से अधिवक्ता श्री अचलाराम थोरी की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 06 अनुपस्थित एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 3 से 5 एकतरफा में इस वाद में आज तारीख़ 24.12.2024 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है कि**:–वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 24.12.2024 मे अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से धोषित की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को आदेश दिये जाते है,कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 24.12.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादीगण	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4...........रूपये पर प्लीडर की फीस 5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामिल	-------	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2.अर्जी के लिए स्टाम्प 3.प्लीडर की फीस 4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय 5.आदेशिका की तामील 6.कमिश्नर की फीस	-------
जोड़	-----	जोड़	-------

कार्यालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा
24/12/14